प्रेस नोट दिनांक 13.09.2023

(1). आज दिनांक 13.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 13.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 78 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गयी ।

(i). थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री तजम्मुल करीम तथा उनके हमराही आरक्षी जय सिंह द्वारा अभियुक्त अमर सिंह पुत्र दया राम आरख निवासी करका पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के को 30 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अवैध शराब बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

(ii). थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुशील चन्द्र निगम तथा उनके हमराही आरक्षी होलिकेन्द्र द्वारा अभियुक्त रामभवन पुत्र राम सजीवन कोल निवासी कर्का पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के कब्जे से 18 क्वार्टर देशी शराब ठेका की बरामद किया गयी । अवैध शराब बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

(iii). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री अंजनी कुमार सिंह के मार्गर्शन में उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी मोहित यादव द्वारा अभियुक्त प्रहलाद वर्मा पुत्र किशोरी लाल वर्मा निवासी हल्दी थाना बरगढ़ को 30 क्वार्ट देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा वेद मेडिकल स्टोर एवं आर्यन मशीनरी स्टोर में हुयी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये चोरी करने वाले 01 अभियुक्त एवं 01 बाल अपचारी को चोरी के 2100/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 08.09.2023 को आवेदक श्री धीरज कमार यादव पुत्र केशव प्रसाद यादव निवासी स्टेशन रोड कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि दिनाँक 07/08.09.2023 की रात्रि में

पटेल तिराहा स्थित वेद मेडिकल स्टोर में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर गुल्लक में रखे लगभग 3500/- रुपये एवं मेरी दुकान के सामने आर्यन मशीनरी स्टोर से लगभग 980/- रुपये चोरी कर लिये हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में 543/2023 धारा 457,380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना के त्वरित अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा उ0नि0 श्री रामाधार सिंह को उक्त मुकदमें की विवेचना सुपुर्द की गयी एवं घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। उ0नि0 श्री रामाधार सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर सुरागरसी पतारसी से अभियुक्त करन जाटव पुत्र स्व0 दुर्गेश कुमार निवासी लक्ष्मणपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से वेद मेडिकल स्टेल एवं आर्यन मशीनरी चोरी किये 2100 रुपये बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त एवं बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि दिनाँक 07/08.09.2023 की रात्रि में पटेल तिराहा स्थित वेद मेडिकल स्टोर के बाहर सो रहे थे और बारिश हो रही थी कोई आप पास नहीं था इसी दौरान हम दोनों ने लोहे की राड से वेद मेडिकल स्टोर का शटर तोड़ा एवं उसकी दुकान में रखे 2780/- रुपये चोरी कर लिये थे एवं उसके बाद आर्यन मशीनरी स्टोर का शटर भी उसी लोहे की राड से तोड़कर वहां से 920/- रुपये चोरी किये थे। हम दोनों ने पैसा आपस में बराबर बराबर बांट लिया था जिसे उस दिन से हम खर्च करते रहे सिर्फ 2100 रुपये बचा है।

अभियुक्त एवं बाल अपचारी के कब्जे से चोरी का रुपया बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. करन जाटव पुत्र स्व0 दुर्गेश कुमार निवासी लक्ष्मणपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2. एक बाल अपचारी

बरामदगीः-

चोरी के 2100/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामाधार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आक्षी बहोरन यादव
3. आरक्षी शिवम राजपूत

(5). एस चेक,डॉग स्क्वायड, बीडीडीएस टीम ,एलआईयू0 की संयुक्त टीम द्वारा भाद्रपद आमावस्या पर्व के सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत सघन चेकिंग की गई

आज दिनाँक-12.9.23.को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में एस चेक टीम बांदा,डॉग स्क्वॉयड बीडीडीएस एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा भाद्रपद अमावस्या पर्व पर सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट, बेडीपुलिया रोडवेज, रेलवे स्टेशन परिसर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर तथा उनकी टीम द्वारा एकराय होकर घेरकर मारपीट कर हत्या का प्रयास व हत्या करने से सम्बन्धित 03 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.09.2023 को वादिया तुलसा पुत्री विजय बहादुर निवासी सड़ का पुरवा मजरा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर लाठी, डंडा व बरछी लेकर वादिया के पिता विजय बहादुर उम्र 48 वर्ष व चाचा भुजवल पुत्रगण निर्पत यादव निवासीगण सड़ का पुरवा मजरा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को घेरकर हत्या करने के उद्देश्य से गाली गलौज करते हुये

लाठी डंडों व बरछी से मारपीट कर वादिया के पिता विजय बहादुर उपरोक्त की हत्या कर दी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 171/2023 धारा 147/148/149/342/307/302/323/504/506 भादवि0 बनाम हरीशचन्द्र आदि 15 नफर निवासीगण सड़ का पुरवा मजरा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखविर की सूचना पर अभियुक्त 1. कल्लू पुत्र स्व0 जगमोहन 2. हरिशचन्द्र पुत्र स्व0 जगमोहन 3. जुगुल किशोर पुत्र वंशगोपाल निवासीगण ग्राम चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों को दिनांक 11.09.2023 तथा 01 अभियुक्त को दिनाँक 12.09.2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

1. कल्लू पुत्र स्व0 जगमोहन
2. हरिष चन्द्र पुत्र स्व0 जगमोहन
3. जुगुल किशोर पुत्र वंशगोपाल निवासीगण ग्राम चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर
2. मुख्य आरक्षी चालक श्यामकरन कुशवाहा
3. आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह
4. आरक्षी गुड्डू यादव
5. आरक्षी दिलीप कुमार
6. आरक्षी दीपक

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 119/2023 धारा 323,504,506,332,186,379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त विमलेश मिश्रा पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम कोबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01/02.09.2023 की रात्रि में खनिज अधिकारी द्वारा खनिज लदे वाहनों की चैकिंग की जा रही थी एक ट्रक बिना नम्बर का बिना कागजात व बिना रवन्ने के पकड़ा गया था, जिससे क्षुब्द होकर ट्रक ड्राईवर एवं ट्रक मालिक व एक स्विफ्ट डिजायर सवार 03 व्यक्ति अज्ञात द्वारा उनके साथ मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 119/2023 धारा 323,504,506,332,186,379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम बनाम ट्रक चालक व ट्रक मालिक तथा स्कॉर्पियो सवार 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना के बाद से अभियुक्त फरार हो गये थे। मुकदमें की विवेचना उ0नि0 श्री अजहर जमाल को सुपुर्द की गयी। आज दिनाँक 13.09.2023 को विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त विमलेश मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 06.09.2023 को अभियुक्त अमित मिश्रा पुत्र रमाशंकर उर्फ छोटा निवासी कोबरा थाना भरतकूप जिला चित्रकूट को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना भरतकूप
2. आरक्षी लवलेश यादव

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस

अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेंद्र कुमार नगर एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्याम सुंदर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सत्र एवं जिला न्यायाधीश चित्रकूट श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2020 धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0 12/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त चुन्नू पुत्र दर्शन निवासी ओरा थाना पहाड़ी चित्रकूट को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 31.02.2020 को वादी श्री गया प्रसाद पुत्र दर्शन निवासी और थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गई थी कि उनके भाई चुन्नू उपरोक्त ने उनकी 23 वर्षीय पुत्री आशा उर्फ निराश की हत्या कर दी है इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 11/2020 धारा 302 भादवी बनाम चुन्नू उपरोक्त पंजीकृत किया गया तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री सुशील चंद्र शर्मा द्वारा मुक्त मुकदमे की विवेचना की गई तथा दिनांक 31.01.2020 को ही अभियुक्त चुन्नू उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया इसके संबंध में थाना पहाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 12/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था एवं दिनांक 24.04.2020 को अभियुक्त चुन्नू उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।